FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ब अदालत सहायक कलक्टर .... मुकाम बापु

खुमाराम आदि .... बनाम मांगीलाल आदि

किस्म मुकदमा 111/128 KLRAct .... नं. 164/2020 .... सन ......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2020	प्रार्थी/~~बादी~~/अपीलांट के वकील श्री नरपतदान ने यह प्रार्थना पत्र/~~बाद~~/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.08.2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बापु	
25/08/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 08/09/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बापु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:33:12 IST
Reason: SelfAttested

08/09/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण ए.प.।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत पास पास आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी मेडे व हदे आये हुए थे जो वर्तमान में काश्तों की वजह से बिगड़ गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा विवाद रहता है तथा आपस में तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेयमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेयमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामड़ को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेयमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
8.9.2020

सहायक कलेक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:33:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

दिनांक–08/09/2020

[illegible]ांक / आवेदन / 2020 /

[illegible]जस्व आवेदन संख्या –164 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री खूमाराम पुत्र मोटाराम वगैरा 04 जाति–जाट निवासी–सुथारों की ढाणी बोड़वा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		[illegible] मानीदेवी पत्नी अचलाराम वगैरा 25, निवासी– सुथारों की ढाणी बोड़वा, तहसील–बायतु, जिला–[illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू [illegible] अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सुथारों की ढाणी, पटवार मण्डल बोड़वा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 171 / 32 रकबा 5.1533 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर [illegible] कमिशनर शुल्क 500 /– जमा करवाकर करे तथा पालना रिपोर्ट पेश करे। अपेक्षित होने पर [illegible] थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

विवेक व्यास 8.9.2020

(विवेक व्यास)

[illegible]ण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक–08/09/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 604-608

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित [illegible] रिकार्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री खूमाराम पुत्र मोटाराम वगैरा 04
4. विप्रार्थीगण श्रीमति मानीदेवी पत्नी अचलाराम वगैरा 25
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

Sd-

[illegible]धिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:33:12 IST
Reason: SelfAttested